

श्रीमती कान्ता कर्दम: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूँ।

**Need for inclusion of "Emergency" in History curriculum and concern over
stoppage of Samman Nidhi Pension in some States**

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति, आपके माध्यम से मैं एक तात्कालिक विषय पर अपनी मांग रखना चाहता हूँ। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आपातकाल के दौरान इस देश में असंख्य लोगों को जिनकी संख्या रिकॉर्ड पर 1 लाख 10 हजार मीसा और डी.आई.आर. की है। इसके अतिरिक्त धारा 151 में कई लाख लोग निरुद्ध किए गए। इन लोगों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुआ। आज इनकी संख्या लगभग 30 प्रतिशत बची है। इससे 11 प्रान्तों में इन लोगों के समय की जो बरबादी हुई, इसके लिए दो प्रान्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बाई एक्ट लोकतंत्र सेनानी कहा। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने इन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा और लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि प्रदान की।

इसी तरह हिन्दुस्तान के 11 अन्य प्रान्तों ने इनके जीवन के पुनर्स्थापन के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण और अन्य तरह के नामों से इन्हें सम्मान निधि प्रदान की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दो प्रान्तों ने जन-सरोकारों के लिए और देश के लिए जिन लोगों ने काम किया, जैसे स्वतंत्रता के आन्दोलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया, यह देश के लिए किया हुआ काम है। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए जिन्होंने काम किया, यह देश के लिए किया हुआ काम है और उसमें सारे दिलों के लोग थे। अभी दो प्रान्तों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 30 प्रतिशत लोग बचे हैं और यह डाइंग कैडर है। इनकी सम्मान निधि अपने आप बंद होने वाली है। इनको बिना किसी नोटिस के बिना किसी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के इनकी सम्मान निधि बंद कर दी गई है। मुझे जानकारी मिली है कि दोनों प्रान्तों में अभी लोग हॉस्पिटल्स में बन्द हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं, इनके जीवन के लिए संकट उपस्थित हो गया है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय केरल ने अभी एक निर्णय में यह कहा है कि यह आपातकाल चूँकि केन्द्र सरकार ने लगाया था, इसीलिए इनका दायित्व बनता है कि इनके लिए, इनके सम्मान के लिए, उस समय इनके जीवन और इनके परिवार में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए करे। हमने इसके लिए सरकार को reference दिया है, सरकार को सूचित भी किया है।

MR. CHAIRMAN: Your time is over. The next Zero Hour mention is of Shri G. V. L. Narasimha Rao. समय हो गया।

श्री कैलाश सोनी: महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना है कि कम से कम 'आयुष्मान योजना' में आपातकाल के लोगों को शामिल किया जाए।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. अशोक बाजपेयी: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कान्ता कर्दम: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम नाथ ठाकुर: महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापति: जिनको associate करना है, वे अपना नाम भेज दें। ...(व्यवधान)...

SHRI B. K. HARIPRASAD: Sir, I disassociate myself with the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: There is nothing like disassociation, ऐसे गंभीर मामले में हम दोनों को unnecessary विवाद में नहीं पड़ना है। अगर देश के हित में हैं और आप उससे सहमत हैं, तो बस छोड़ देना है। श्री जी. वी. एल. नरसिंहा राव। Now, Shri G. V. L. Narasimha Rao.